न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी–हरिसिंह मीना (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या – डिक्री 261 सन् 2016
पंजीयन दिनांक 04.08.2016

1. लक्ष्मीनारायण पिता शंकरलाल जाति आगाल निवासी सावा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
2. रामजस पिता शंकरलाल जाति आगाल निवासी सावा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़

–अपीलांट्गण

विरूद्व

1. माधवलाल पिता मिठुलाल जाति आगाल निवासी सावा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
2. प्रहलादराय पिता मदनलाल जाति आगाल निवासी सावा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीदार चित्तौड़गढ़ तहसील व जिला चित्तौड़गढ़

–रेस्पोडेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व
निर्णय एवं डिक्री न्यायालय
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़
प्रकरण संख्या 198/2014 निर्णय व डिक्री दिनांक 26.05.2016

उपस्थित– 1. सत्यनारायण ईनाणी– अधिवक्ता अपीलान्टगण
2. श्री विजय कुमार जैन–अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2
3. पूरणमल स्वर्णकार–राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 3

निर्णय **दिनांक 02.08.2022**

प्रकरण के संक्षित तथ्य इस प्रकार है कि अपलीान्टगण ने अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 एक ही मूल पुरूष धुलचंद महाजन के वारिसान है। धुलचंद महान के दो पुत्र गोटुलाल मिठुलाल हुए। गोटुलाल व मिठुलाल दोनो का स्वर्गवास हो चुका है। अपीलान्टगण गोटुलाल के पुत्र शंकरलाल के वारिसान है। रेस्पोडेन्ट मिठुलाल के वारिसान है। मौजा सावा तहसील चित्तौड़गढ़ मे धुलंचद के समय की पुश्तैनी आराजीयात चली आ रही है जिसका रेकार्ड व मौके पर विभाजन होकर गोटुलाल व मिठुलाल के वारिसान अलग–अलग काबिज काश्त चले आ रहे है। अपीलान्टगण के हिस्से मे 2.05 हैक्टेयर व रेस्पोडेन्ट के हिस्से मे 2.15 हैक्टेयर भूमि दर्ज रेकार्ड है। मौजा सावा मे आराजी नम्बर 1301 रकबा 0.03 हैक्टेयर किस्म रास्ता आराजी नम्बर 1302 रेकबा 0.06 हैक्टेयर दोनो पक्षकारान की शामलाती होकर शामलाती मे उपयोग उपभोग मे आ रही है। उभयपक्षकारण आराजी नम्बर 1301 रास्ते मे होकर चाह नम्बर 1302 व अपनी अन्य आराजीयात मे आते–जाते है। दोनो आराजीयात रास्ता व चाह दोनो पक्षो का शामलाती है किन्तु रेकार्ड मे सहवन से रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 प्रतिवादीगण के नाम

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

अंकित हो गया जो रेकार्ड की गलती है। जबकि चाह से दोनो पक्ष बराबर-बराबर सिंचाई कर रहे है और आ.ता.चा. व रास्ते का भी दोनो पक्ष बराबर-बराबर उपयोग कर रहे है। रेकार्ड मे अकेले रेस्पोडेन्टण के नाम अंकित हो जाने से अपीलान्टगण घोषणा कराने के अधिकारी है। आराजी नम्बर 1301 व 1302 के साबिक आराजी नम्बर 1364, 1365 है जिसका रकबा 9 बिस्वा व 7 बिस्वा है। साबिक बन्दोबस्ती मे गोदुलाल व मिदुलाल के नाम अंकित है। किन्तु वक्त बन्दोबस्त रकबा पक्षकारान की अन्य आराजीयात मे शामिल हो जाने से वर्तमान रकबा क्रमशः 0.03 हैक्टेयर व 0.06 हैक्टेयर ही रहा जो शामलाती उपयोग उपभोग मे आ रहा है। साबिक बन्दोबस्ती मे शामलाती होकर शामलाती चाह व रास्ते का विभाजन नही हो सकता जिससे अपीलान्टगण वादीगण घोषणा कराने के अधिकारी है।

उक्त आशय का वादपत्र अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे अपीलान्टगण वादीगण की ओर से प्रस्तुत होने पर अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय के द्वारा वादपत्र पंजीबद्ध किया जाकर रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण सं. 1 से 3 को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। उक्त पत्रावली अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे दिनांक 06.04.2016 तक तामील हेतु नियत थी जिससे आगामी तारीख पेशी दिनांक 13.06.2016 नियत की गई। दिनांक 13.06.2016 की कोई आदेशिका निष्पादित नही की गई न ही अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय ने लोक अदालत की सूचना अपीलान्ट वादीगण को नही दी गई। बिना सूचना के उक्त पत्रावली दिनांक 26.05.2016 को लोक अदालत कैम्प कोर्ट सावा मे नियत की जाकर बिना किसी राजीनामे के गुणावगुण पर निर्णय करते हुए अपीलान्टगण वादीगण की ओर से प्रस्तुत वादपत्र प्रमाणित होना नही मानते हुए निरस्त किये जाने की निर्णय व डिक्री पारित की है।

अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलान्टगण वादीगण ने इस न्यायालय मे रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रथम अपील प्रस्तुत की।

इस न्यायालय मे अपीलान्टगण की ओर से अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री के विरूद्ध अपील प्रस्तुत होने पर अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 3 प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। नोटिस की पालना मे रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 3 प्रतिवादीगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर शामिल पत्रावली की गई।

अधिवक्ता अपीलान्टगण वादीगण ने अपनी बहस मे अपील मे वर्णित तथ्यो को पुनः दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे अपीलान्टगण वादीगण की ओर से रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण के विरूद्ध मौजा सावा तहसील चित्तौड़गढ़ की आराजी नम्बर 1301 व 1302 जिसके साबिक आराजी नम्बर 1364, 1365 है जो रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 प्रतिवादीगण के नाम दर्ज रेकार्ड है। उक्त आराजीयात पूर्व मे शामलाती रही। बंटवाडे से रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 के नाम अंकित कर दी गई। जबकि आराजी नम्बर 1301 किस्म रास्ता आराजी नम्बर 1302 आ.ता.चाह स्थित है। उक्त आराजीयात से अपीलान्टगण वादीगण अपनी खातेदारी की आराजी नम्बर 1294,1295 व 1300 की सिंचाई करते चले आ रहे है। आराजी नम्बर 1301 से चाह नम्बर 1302 व अपने खातेदारी की आराजी नम्बर 1293,1294,1295 व 1300 पर आते-जाते है। उक्त वादपत्र के साथ अपीलान्ट वादीगण

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य भी प्रस्तुत की है। फिर भी अधीनस्थ विचारण न्यायालय ने अपीलान्ट प्रतिवादीगण की बिना तामील व बिना साक्ष्य व सबूत के उक्त पत्रावली को बिना सूचित किये लोक अदालत मे नियत की जाकर बिना किसी लिखित राजीनामे के अपीलान्टगण वादीगण की ओर से प्रस्तुत वादपत्र को प्रमाणित होना नही मानते हुए वादपत्र निरस्त किये जाने की निर्णय व डिक्री पारित की है। जिसके विरुद्ध प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 प्रतिवादीगण ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि पक्षकारान के मध्य संवत् 2009 से पूर्व बंटवाडा हो चुका था। अपीलान्टगण वादीगण के पिता ने भू-प्रबन्ध के दरम्यान सहायक भू-प्रबन्ध के यहां वादपत्र प्रस्तुत किया जिसके प्रकरण सं. 191/1981 दर्ज होकर दिनांक 21.08.1981 को अपीलान्ट वादीगण की ओर से प्रस्तुत वादपत्र निरस्त हो चुका है। विगत 70 वर्षो से खाते अलग-अलग होकर अलग-अलग जमाबन्दी मे दर्ज है। उक्त आराजीयात का बंटवाडा नही हुआ है। ऐसा अपीलान्टगण वादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया है जिससे अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय ने अपीलान्ट वादीगण का वादपत्र प्रमाणित होना नही मानते हुए निरस्त किये जाने मे किसी प्रकार की कोई त्रुटि नही की है। अपीलान्टगण वादीगण की ओर से प्रस्तुत अपील मे किसी प्रकार का कोई बल नही होने से निरस्त किये जाने का अनुरोध किया।

राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 3 ने अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को न्यायोचित होना बताते हुए अपीलान्टगण वादीगण की ओर से प्रस्तुत अपील को निरस्त किये जाने का अनुरोध किया।

हमने उभय पक्षकारान के अधिवक्ताओ की बहस पर विधिपूर्ण मनन किया। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय की पत्रावली मे प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड का गहनता से अवलोकन किया। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे अपीलान्टगण वादीगण ने आराजी नम्बर 1301 किस्म रास्ता आराजी नम्बर 1302 किस्म आ.ता.चाह जिसके साबिक आराजी नम्बर 1364 व 1365 जो पूर्वजो की होकर रास्ते व चाह के रूप मे उपयोग उपभोग करना बताते हुए उक्त दोनो ही आराजीयात बिना बंटवाडे के रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 के नाम दर्ज हो जाने से 1/2 हक व हिस्से की घोषणा का वादपत्र प्रस्तुत किया। अपीलान्टगण वादीगण ने अपने खाते की जमाबन्दी प्रस्तुत की जिसमे अपने खाते की आराजीयात चाह नम्बर 1302 से सिंचित होना अंकित है। व आराजी नम्बर 1301 रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 नाम दर्ज रेकार्ड होकर किस्म रास्ता दर्ज है। जिससे अपीलान्टगण वादीगण अपने खातेदारी की आराजीयात तक पहूॅचते है। ऐसी स्थिति मे आराजी नम्बर 1301 रास्ता व आराजी नम्बर 1302 आ. चा.शामलाती होना प्रतीत होता है। इसी आधार पर अपीलान्टगण वादीगण ने विचारण न्यायालय मे वादपत्र प्रस्तुत किया जो तामील हेतु नियत था। फिर भी उक्त प्रकरण को बिना तामील कराये लोक अदालत कैम्प कोर्ट मे नियज किया जाकर बिना किसी लिखित राजीनामे के लोक अदालत के तहत गुणावगुण पर निर्णय पारित करते हुए अपीलान्ट वादीगण का वादपत्र गुणावगुण पर निरस्त किये जाने की निर्णय व डिक्री पारित की है जिसके विरुद्ध अपीलान्टगण वादीगण की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार योग्य है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

फलस्वरूप अपील अपीलांट्गण वादीगण स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ द्वारा पारित प्रकरण संख्या 198/2014 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26.05.2016 निरस्त की जाकर प्रकरण इन निर्देशों के साथ अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाकर गुणावगुण पर अजरसे नव निर्णय पारित करे। उभयपक्षकारान अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे दिनांक 25.08.2022 को सुनवाई हेतु स्वयं उपस्थित रहे।

निर्णय आज दिनांक 02.08.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लौटायी जावे।

(हरिसिंह मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़(राज0)

राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)